न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **454/2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमति मिनाक्षी पुरी पुत्री श्री कैलाश पुरी, पत्नी श्री बाबूलाल पुरी, जाति गोस्वामी, उम्र 58 वर्ष, हाल निवासी– प्लाट न0 71, लक्ष्मी विहार बासनी प्रथम चरण, जोधपुर।		तहसीलदार(भू.अ.) जोधपुर।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.07.2019 जो न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 04/2018 बअनवान श्रीमति मिनाक्षी पुरी बनाम जो कोई हो में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री पवन राकांवत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 07 अक्टूबर,2022

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम माणकलाव में ख0सं0 4/1, 7, 8, 9, 9/1, 15/1, 16, 19, 201, 202 के खाता संख्या 163 (पुराना खाता संख्या 139) में आयी हुयी है तथा खसरा संख्या 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 21, 22 के खाता संख्या 434 (पुराना खाता संख्या 386) में आयी हुयी है, जो अपीलार्थी के ताउ स्व. श्री शंकरपुरी जी पुत्र खुमानपुरी के नाम दर्ज है। श्री शंकरपुरी जी की मृत्यु दिनांक 26.08.2013 को हो जाने के उपरान्त उनके द्वारा अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 14.07.1992 जो 27.07.1992 को पंजीकृत है के अनुसार अपीलाथीर्या के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने की प्रार्थना तहसीलदार जोधपुर के समक्ष की। प्रार्थना पत्र के साथ ही पंजीबद्व वसीयतनामा (द्वारा श्री शंकरपुरी गोस्वामी) एवं स्व शंकरपुरी जी गोस्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर के दीवानी मूल वाद संख्या 28/68 निर्णय दिनांक 09.10.1973 की छायाप्रति भी पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया के प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 (2) के तहत प्रकरण संख्या 4/2018 दर्ज किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर ने दिनांक 08.07.2019 के द्वारा पारित अपने आदेश अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत नही आने का उल्लेख करते हुए प्रकरण खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थीया ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2019 उनके समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों को दरकिनार करते हुये एवं विधि के प्रावधानों को सही समझे बिना ही पारित किया गया होने से काबिले निरस्ती है।

स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी दिनांक 26.08.2013 को अविवाहित रहते हुए फौत हो गये थे जिनके कोई प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तथा अपीलार्थी स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की भाई की पुत्री है जिसके पक्ष में श्री शंकरपुरी के द्वारा अपनी कृषि भूमि का जिसका वर्णन श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर के प्रकरण संख्या 28/68 के वाद पत्र संख्या 4 में वर्णित किया गया है, के 8/70 हिस्से की भूमि में से 4/70 अपीलार्थी के वसीयत किया जाना अपीलार्थी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रही जांच में स्पष्टया प्रमाणित किया है फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया मनमाने ढंग से विधि विरूद्व जाकर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने से इंकार करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की ओर से निष्पादित वसीयत दिनांक 14.07.1992 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गयी थी जो कि एक रजिस्टर्ड वसीयत है तथा उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता के रूप में स्व शंकरपुरी जी गोस्वामी के हस्ताक्षर है जिनको दो साक्षी रणजीतमल लोढ़ा व मांगीलाल द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के जांच के दौरान उक्त वसीयत का साक्षी मांगीलाल ने अपने सशपथ साक्ष्य में वसीयत पर स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी के हस्ताक्षर अपने समक्ष होना व रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर साख डालने का स्पष्ट कथन किया है। इसलिये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अनुसार स्व शंकरपुरी जी गोस्वामी द्वारा निष्पादित वसीयत पूर्णतया सही रूप से साबित किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश में यह अंकित करते हुए कि श्री मांगीलाल गवाह के द्वारा वसीयत किस संबंध मे थी, उसमे क्या लिखा था, किसके पक्ष में की गयी इसकी जानकारी साक्षी मांगीलाल को नही है, मात्र तथ्यों को पूर्णतया गलत रूप से आधार बनाकर अपीलार्थी का प्रकरण खारिज कर आलौच्य आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश में यह कहते हुए भी अपीलार्थीया का नामान्तरकरण का प्रकरण खारिज किया है कि वसीयत में गांव का नाम, खसरा नम्बर व रकबा वर्णित नहीं होने के कारण वसीयत संदेहास्पद है जबकि स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की वसीयत दिनांक 14.07.1992 (दिनांक 27.07.1992 को पंजीकृत) को देखने मात्र से यह स्पष्ट है कि अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर में मुकदमा संख्या 28/68 में स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की पैतृक सम्पति के विभाजन के संबंध में दिनांक 04.10.1973 को प्रिलिमिनरी डिक्री पारित कर उनका 8/70 हिस्सा तय किया है जिसमें से 4/70 हिस्सा अपीलार्थी

को वसीयत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि वसीयत में अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 28/68 के वाद पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित सम्पति (कृषि भूमि) जो अपील के पद संख्या 1 में वर्णित खसरान की भूमि ही है एवं इसी के संबंध में वसीयत किया जाना स्पष्टतया वसीयत दिनांक 14.07.1992 से प्रमाणित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उल्लेखित वसीयत में वसीयत की गयी सम्पति का ब्यौरा यानि किस खसरा, किस गांव की कृषि भूमि है आदि स्पष्ट नही होने का पूर्णतया गलत वर्णन करते हुए अपीलार्थी का नामान्तरण भरने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में भारी वाक्याती भूल की है इस कारण भी आलौच्य आदेश काबिले निरस्त है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की वसीयत दिनांक 14.07.1992 के आधार पर उत्तराधिकारी होने से तथा वसीयत में वर्णित स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की 8/70 हिस्से की भूमि में से 4/70 भूमि को अपने पक्ष में वसीयत किया गया होना तथा इसी हिस्से का वसीयत के आधार अपने पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है उससे ज्यादा की नहीं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी जांच के दौरान इस बाबत आम सूचना भी अखबार में छाया प्रकाशित करवाकर ऐतराज मांगे गये जिस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नही किया। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्णरूप से गलत आधार पर जमाबंदी तथा अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर के आदेश में वर्णित कृषि भूमि का माप अलग–अलग आने का तथा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जमाबंदी की नकल में दर्ज वसीयतकर्ता से शंकरपुरी जी गोस्वामी की हिस्से का मिलान नहीं हो रहा है, इत्यादि लिखते हुए मनमाने ढंग से गलत रूप से विवेचना कर अपीलार्थी का नामान्तरण का प्रार्थना खारिज करने में भारी वाक्याती एवं कानूनी भूल की है इस कारण भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2019 काबिले निरस्त है।

वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की जिसके अनुसार भी स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की उक्त कृषि भूमि का इजारे पर दिया जाकर कृषि कार्य करवाया जाना बताया। उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी के रिश्तेदार गांव में निवास नही होना, को भी आदेश का आधार बना लिया। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय को अपास्त करते हुए स्व0 शंकरपुरी जी गोस्वामी की पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.07.1992 (जो दिनांक 14.07.1992 को लिखी गयी) में वर्णित खसरान भूमि में जो स्व शंकरपुरी जी गोस्वामी के हिस्से की 8/70 है, में से कृषि भूमि के 4/70 भाग का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में अमल दरामद करने के निर्देश प्रदान करावें। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में निर्णय नजीरे पेश की गई। यथा 2019(1) प्रतीभा वगैराह बनाम नन्दीदेवी वगैराह पेज 795 , 2019 (1) सिविल कोर्ट केसेज पेज 798, 2018 (2) बंटीसिंह वगैराह बनाम दीदारसिंह वगैराह पेज 439, 2019 चन्दाकला बनाम भीमराव पेज 111, 2019 (4) राकेश मकवाना बनाम बिशान्त इन्फ्रा प्रोजेक्टस पेज

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

119 इत्यादि।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के द्वारा अपीलार्थीया की ओर से अपने पक्ष में हुई वसीयत के प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए तथा वसीयत में अंकित रकबा भूमि एवं सिविल न्यायालयों के आदेशों में अंकित रकबा भूमि में अन्तर आने एवं वसीयत में डाली गई साख व्यक्ति के बयान में विरोधाभास होने तथा गवाह के उपस्थित नहीं होने इत्यादि के आधार पर वसीयत को सन्देहास्पद मानते हुए अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने को खारिज किया गया है जो विधि अनुकूल उचित प्रतीत होने से यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि पटवारी हल्का के द्वारा जहॉ शंकरपुरी का निवास बताया है वहॉ जाकर वारिसान की जॉच नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वसीयत के गवाह श्री मांगीलाल पुत्र रतनसिंह चौहान के द्वारा वसीयतनामा पर साख डाला जाना स्वीकार किया है। वसीयत के सम्बन्ध मे उज्र एतराज बात आम सूचना का प्रकाशन भी किया जाना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार वसीयत के सम्बन्ध में कोई उज्र एतराज प्राप्त होना परिलक्षित नहीं होता है। दिनांक 27.7.1992 को निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत अनुसार–

> ''पैतृक सम्पति का दावा जब फाईनल डिक्री और मीटस् एण्ड बाउन्डस द्वारा विभाजन हेतु एडीशनल डिस्ट्रीक्ट एण्ड सैशन्स न्यायालय संख्या 3, जोधपुर में बमुकदमा संख्या 198/1986 चल रहा है। इस विभाजन की प्रिलीमिनरी डिक्री एडीशनल डिस्ट्रीक्ट न्यायालय 02, जोधपुर में बमुकदमा संख्या 28/68 (पुराने नम्बर 07/65 कोर्ट नं. 1) ने दिनांक 4.10.1973 को फरमाई। इस डिक्री में मेरा हिस्सा कोर्ट ने 8/70 तय किया है क्योकि अभी फाईनल डिक्री और विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये अलग–अलग सेक्टर बताना सम्भव नहीं है। इस डिक्री के खिलाफ जो प्रथम अपील और कॉस आब्जेक्शन माननीय राज0 हाईकोई में बमुकदमा संख्या 150/74 में पेश हुए थे वह न्यायालय के फेसला दिनांक 17.4.1986 को खारिज फरमा दिये गये। उपरोक्त वर्णित 8/70 हिस्से में से 4/70 चार बटा सित्तर हिस्सा यानि मेरे हिस्सा का आधा हिस्सा श्रीमती मिनाक्षी उर्फ बेबी को वसीयत करता हूँ।''

अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 4.10.1973 अनुसार पैतृक सम्पति में स्व0 शंकरपुरी का हिस्सा 8/70 तय किया गया। उक्त जायदाद की सूची में बिन्दू संख्या 12 व 13 अनुसार

> ''काश्तकारी जमीन (बापी) मौजा माणकलाव तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 3, 4, 7, 8 ,9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 21, 22, 201, 202 वगैराह तथा कुआ दो खसरा संख्या 4/1 और 9/1 काश्तकारी जमीन (बापी) मौजा माणकलाव तहसील जोधपुर में।''

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इस प्रकार उक्तानुसार वसीयतनामा तथा अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर द्वारा पारित डिक्री में वादग्रस्त भूमि का हिस्सा, ग्राम, रकबा व खसरा वर्णित किया हुआ है तथा निष्पादित वसीयत में अंकित गवाह व आम सूचना में कोई अन्यथा तथ्य प्रकट नहीं हुए है जो उक्त वसीयत को असत्य सिद्ध करता हो। इस प्रकार समस्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन वसीयत प्रकरण में जो निर्णय पारित

किया गया है वो विधि अनुरूप पारित नहीं होने से उसे निरस्त किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 4/2018 में तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2019 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार,जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पुनः दर्ज कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर